-प्रेस नोट-

दिनांकः**01.11.2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम द्वारा "ऑपरेशन सवेरा" के तहत परिवार से बिछड़े बालक को सी-प्लान ऐप के माध्यम से ग्राम प्रधान से संपर्क स्थापित कर सकुशल उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपने परिवार से बिछड़े/लावारिस बच्चों को सकुशल उनके परिवार से मिलाये जाने हेतु ***"ऑपरेशन मुस्कान"*** *चलाया जा रहा है। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भड़ाना के कुशल नेतृत्व में थाना बड़गांव की मिशन शक्ति टीम द्वा क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक करने हेतु भ्रमणशील थी, तभी एक 10-11 वर्षीय बच्चा बडगांव कस्बे में घूमता हुआ मिला, जो रो रहा था व काफी परेशान दिख रहा था। बच्चे को थाना लाकर मिशन शक्ति केन्द्र मे बैठाया गया तथा खाना खिलाया और विनम्रता से अपना नाम आशु निवासी गागनौली बताया तथा माता-पिता का नाम भावना व हैप्पी बताया, जिसके पश्चात थाना बड़गांव मिशन शक्ति टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए* ***सी- प्लान एप्प के माध्यम से ग्राम गांगनौली के प्रधान से सम्पर्क कर बच्चे के परिजनों को सूचित*** *किया गया तथा बच्चे को थाने आकर ले जाने हेतु बताया गया।*

जिसके पश्चात आज दिनांक 01.11.2026 को ***आशु पुत्र हैप्पी निवासी ग्राम गांगनौली थाना नागल जनपद सहारनपुर उम्र करीब 11 वर्ष*** *को सकुशल उसके माता-पिता के सुपुर्द किया गया। बच्चो को सकुशल वापस पाकर परिजनो ने सहारनपुर पुलिस व थाना बडगांव पुलिस की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया।* ***यह सराहनीय कार्य श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहानपुर द्वारा चलाये जा रहे सी-प्लान ऐप अभियान का ही परिणाम है।***

लावारिस/गुमशुदा का नाम पता

आशु पुत्र हैप्पी निवासी ग्राम गांगनौली थाना नागल जनपद सहारनपुर

पुलिस पार्टी का नाम

1. *थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री बचन सिंह अत्री थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।*
3. *म0कां0 406 शिवानी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।*
4. *म0कां0 325 मनीषा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 01.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चिलकाना श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***01 वारण्टी अभियुक्त इरशाद पुत्र जमशेद निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद सं0- 1417/26 मु0अ0सं0 344/25 धारा 326(जी) बीएनएस (मा0 न्यायालय श्रीमान डी0जे0 सहारनपुर) नियत तिथि 07.11.2026 में ग्राम दूधगढ से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

इरशाद पुत्र जमशेद निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. *उ0नि0 श्री विमल कुमार सैनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
2. *है0का0 799 मोहित शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
3. *का0 2175 गोपाल सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः **01.11.2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा नलकूपों में चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश मे आये 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर नलकूपों से चोरी गया करीब 170 फीट बिजली का केबिल व 04 अदद कटआउट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 31.10.206 को वादी श्री झबल सिहं पुत्र रफल सिहं निवासी ग्राम सलेमपुर थाना नांगल जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी व अन्य दस किसानो के नलकूप से विद्युत उपकरण चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 748/2026 धारा 303(2) बीएनएस के पजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबन्द श्री सन्दीप बालियान के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.10.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त नलकूप से चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए विवेचना से प्रकाश में आये ***03 वांछित अभियुक्तगण 1. ब्रिजेश पुत्र दर्शन निवासी ग्राम रसूलपुर टाक थाना देवबंद जिला सहारनपुर, 2. विशाल पुत्र रोहतास निवासी ग्राम रसूलपुर टाक थाना देवबंद जिला सहारनपुर व 3. विजय उर्फ विक्की पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर टाक थाना देवबंद जिला सहारनपुर*** *को चेकिंग के दौरान कपूरी की तरफ नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के* ***कब्जे/निशानदेही पर नलकूपों से चोरी गया करीब 170 फीट बिजली का केबिल व 04 कटआउट*** *बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1. ब्रिजेश पुत्र दर्शन निवासी ग्राम रसूलपुर टाक थाना देवबंद जिला सहारनपुर
2. विशाल पुत्र रोहतास निवासी ग्राम रसूलपुर टाक थाना देवबंद जिला सहारनपुर
3. विजय उर्फ विक्की पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर टाक थाना देवबंद जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *170 फीट बिजली का केबिल*
- *04 कटआउट*

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री देवेन्द्र भाटी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2- है0का0 949 विकास कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3- है0का0 1349 सन्दीप कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
4- का0 16 पवन कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
5- का0 2076 धर्मेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 01.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, सहारनपुर पुलिस द्वारा टप्पेबाजी/धोखाधड़ी की घटना का अनावरण करते हुए 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 04 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद रेलवे टिकट व 50,000/- रूपये नकद, 02 अदद नोट (100 की मुद्रा UAE), जालसाजी के लिए तैयार अखबार के टुकडे व 01 पल्सर मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरणः- अवगत कराना है कि दिनांक 17.10.2026 को वादी श्री खालिद सिद्दीकी पुत्र राईस सिद्दिकी निवासी G-39, निजामुद्दीन वेस्ट दिल्ली-13 की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त शब्बीर निवासी अज्ञात द्वारा वादी के साथ 04 लाख की टप्पेबाजी कर लेने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 730/2026 धारा 318(4) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबन्द श्री संदीप बालियान के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.10.2026 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में धोखाधड़ी/टप्पेबाजी की घटना का अनावरण करते हुए **03 वांछित अभियुक्तगण 1. युसुफ शेख पुत्र सैमुद्दीन शेख निवासी मुरमरा किरीटेश्वरी जिला मुर्सिदाबाद पश्चिम बंगाल, 2. मौ0 रफीक पुत्र कालू निवासी न्यू सीमापुरी ई ब्लाक म0नं0 386 थाना झिलमिल दिल्ली व 3. आजिस खान पुत्र सिकरहमान नि0 ग्राम अगरपडा थाना कमराठी जिला हवाडा (पश्चिम बंगाल)** को **तल्हेड़ी बुजुर्ग रेलवे स्टेशन** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर 04 अदद मोबाइल फोन (सैमसंग, रेडमी, लावा, ग्रैविटेल), 01 अदद आधार कार्ड, 010 अदद रेलवे टिकट, 50000/- रूपये नकद, 02 अदद नोट (100 की मुद्रा UAE), जालसाजी के लिए तैयार अखबार के टुकडे व 01 पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. युसुफ शेख पुत्र सैमुद्दीन शेख निवासी मुरमरा किरीटेश्वरी जिला मुर्सिदाबाद पश्चिम बंगाल
2. मौ0 रफीक पुत्र कालू निवासी न्यू सीमापुरी ई ब्लाक म0नं0 386 थाना झिलमिल दिल्ली
3. आजिस खान पुत्र सिकरहमान नि0 ग्राम अगरपडा थाना कमराठी जिला हवाडा पश्चिम बंगाल

बरामदगी का विवरण –

- 04 अदद मोबाइल फोन (सैमसंग, रेडमी, लावा, ग्रैविटेल)
- 50,000 रूपये नकद
- 01 अदद रेलवे टिकट
- जालसाजी के लिए तैयार अखबार के टुकडे
- 01 पल्सर मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2- है0का0 447 अमरदीप थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3- है0का0 1142 विकास कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4- का0 2253 संजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5- रि0का0 222 कपिल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6- रि0का0 667 मनीष कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 01.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ़ श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **01 वारण्टी अभियुक्त अरविन्द पुत्र महावीर निवासी ग्राम नरोत्तमगढ थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को (सम्बन्धित वाद सं0 3958/25 धारा 3(2),120(बी) भादवि) में ग्राम नरोत्तमगढ़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अरविन्द पुत्र महावीर निवासी ग्राम नरोत्तमगढ थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
2.उ0नि0 विनोद कुमार थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
3. हो0गा0 1283 अशरफ थाना बिहारीगढ सहारनपुर।

दिनांक 01.11.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 120 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***01 शातिर अभियुक्त गुलबहार उर्फ मिण्डा पुत्र यामीन निवासी चाँद कालोनी शकूरी मस्जिद के पास थाना मण्डी जिला सहारनपुर*** *को सरकारी कमेला के सामने गली चांद कालोनी रोड पर खाली पडा प्लाट से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से कुल 120 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 543/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गुलबहार उर्फ मिण्डा पुत्र यामीन निवासी चाँद कालोनी शकूरी मस्जिद के पास थाना मण्डी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *120 ग्राम अवैध चरस*

अपराधिक इतिहास –

1. *मु0अ0सं0- 96/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0- 100/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0- 008/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0- 470/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
5. *मु0अ0सं0- 252/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
6. *मु0अ0सं0- 0094/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *प्र0नि0 श्री विरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 1002 विकल सोम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
4. *है0का0 672 प्रदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
5. *का0 1600 मनोज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*